


आदेश

श्री विनोद कुमार, मोटरयान निरीक्षक, भोजपुर (आरा) अतिरिक्त प्रभार मोटरयान निरीक्षक, अरवल को निगरानी टीम द्वारा अरवल में गिरफ्तार किये जाने के संबंध में जिला पदाधिकारी, अरवल के ज्ञापांक-82 दिनांक-15.03.2016 एवं जिला परिवहन पदाधिकारी, भोजपुर (आरा) के पत्रांक-201 दिनांक-16.03.2016 के माध्यम से प्राप्त सूचना के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम9(2) के तहत जेल जाने की तिथि दिनांक-13.03.2016 के प्रभाव से निलंबित किया जाता है ।

2. श्री कुमार को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा ।
3. श्री कुमार के विरुद्ध प्रपत्र 'क' में आरोप-पत्र गठित कर विभागीय कार्यवाही संचालन की कार्रवाई अलग संचालित की जायेगी ।




राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना

ज्ञाप सं०-05/स्था०(आरोप)-01/2016 1479

पटना, दिनांक 12/03/2016

प्रतिलिपि:-जिला पदाधिकारी, भोजपुर (आरा)/अरवल/संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, पटना/गया/ जिला परिवहन पदाधिकारी, भोजपुर(आरा)/अरवल/श्री विनोद कुमार, निलंबित मोटरयान निरीक्षक, भोजपुर(आरा)/अरवल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।



राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना

ज्ञाप सं०-05/स्था०(आरोप)-01/2016 1479

पटना, दिनांक 12/03/2016

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री परिवहन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/परिवहन विभाग, मुख्यालय के सभी पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।



राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना